मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१८.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, २०१८ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २९ सन् १९६७ की धारा २ द्वारा यथा स्थापित मूल नियम ५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) की धारा २ में, मूल नियमों के नियम ५६ में, उपनियम (१) में,—

(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर "(१-क), (१-ख)," का लोप किया जाए;

(दो) दो बार आने वाले शब्द "साठ वर्ष" के स्थान पर, शब्द "बासठ वर्ष" स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ४ सन् २०१८), एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) के उपबंधों के अनुसार शासकीय कर्मचारियों (शासकीय शिक्षक, शासकीय नर्स, चिकित्सीय पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न) की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष है. न्यायालय के निर्णय के कारण शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति अवरूद्ध है तथा विभिन्न संवर्गों के वरिष्ठ पदों पर शासकीय कर्मचारियों की कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्त संशोधन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु को साठ वर्ष से बासठ वर्ष बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया है.

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी- आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ४ सन् २०१८) इस प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २१ जून, २०१८

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों (शासकीय चिकित्सक संवर्ग से भिन्न) अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि की जा रही है. अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि होने से शासकीय सेवकों के दीर्घ अनुभव का लाभ प्राप्त होगा. इस प्रस्ताव से शासकीय सेवकों की बढ़ी हुई अधिवार्षिकी आयु तक वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के मद में व्ययभार अवश्य होगा परन्तु सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने पर भरती/पदोन्नति की स्थिति में भी नियुक्त/पदोन्नत को वेतन, भत्ते आदि देय होते.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) के उपबंधों के अनुसार शासकीय कर्मचारियों (शासकीय शिक्षक, शासकीय नर्स, चिकित्सीय पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न) की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष है. न्यायालय के निर्णय के कारण शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति अवरूद्ध है तथा विभिन्न संवर्गों के वरिष्ठ पदों पर शासकीय कर्मचारियों की कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्त संशोधन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष से बासठ वर्ष बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ४ सन् २०१८) इस प्रयोजन हेतु दिनांक ३१-३-२०१८ को प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) से उद्धरण

* * * * *

अधिनियम की धारा २ द्वारा यथास्थापित मूल नियम ५६—

५६. (१) उप नियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय शिक्षक और चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह ६० वर्ष आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु कोई शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

(१-क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु कोई शासकीय शिक्षक, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

* * * * *

(१-ख) उपनियम (२) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक, उस मास के, जिसमें वह वासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु कोई चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख को, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

* * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.